अखिलेश यादव ने फिर ईवीएम की विश्वसनीयता पर उठाए सवाल

लखनऊ, 16 जून (भाषा)।

सपा प्रमुख ने कहा कि आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर (मतपत्र) से कराने की अपनी मांग को हम फिर दोहराते हैं।

सपा के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को एक बार फिर से ईवीएम (इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन) की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हुए आगामी सभी चुनाव मतपत्रों के जरिए कराने की मांग की।

सपा प्रमुख यादव ने रविवार को एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा कि टेक्नोलोजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए, तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। यादव ने इसी पोस्ट में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने-माने प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (टेक्नोलोजी एक्सपर्ट्स) ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है, ये बात भाजपा साफ करें। उन्होंने कहा कि आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर (मतपत्र) से कराने की अपनी मांग को हम फिर दोहराते हैं। यादव पहले भी ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते रहे हैं। हालांकि, हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। सपा को राज्य की 80 लोकसभा सीटों में 37 और उसके सहयोगी कांग्रेस को छह सीटों पर जीत मिली। वहीं सत्तारूढ़ भाजपा को 33 और सहयोगियों को तीन सीटों पर ही जीत मिली। आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) के हिस्से में भी एक सीट आई है। एलन मस्क की बात पर राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बाक्सह की तरह है, जिसकी जांच करने की अनुमति किसी को भी नहीं है। कांग्रेस नेता ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि जब हमारे देश की चुनावी प्रक्रिया के पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है, तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है।

गंगा में स्नान करने गई चार लड़कियां डूबीं, दो की मौत

मिर्जापुर, 16 जून (जनसत्ता)।

थाना प्रभारी रीता यादव ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

घटना के बाद से परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है।

गंगा दशहरा पर स्नान करने गईं चार लड़कियां गंगा में डूब गईं। आसपास के लोगों ने उन्हें डूबता देखकर नदी में छलांग लगा दी। दो लड़कियों को उन्होंने बाहर निकाल लिया। घटना के बाद मौके पर भीड़ जुट गई। जानकारी मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने डूबी लड़कियों की तलाश के लिए गोताखोरों को बुलवा लिया।

गोताखोरों ने मशक्कत के बाद दोनों के शव बाहर निकाल लिए। घटना के बाद से परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। चिल्ह थाना क्षेत्र के डिंगुर पट्टी गांव के गंगा घाट पर गंगा दशहरा पर्व पर रविवार को कुछ लोग पहुंचे थे। इसी दौरान डिंगुरपट्टी गांव की शालू (15), शिवानी (14), आंचल (15), नैंसी (13) गंगा में नहा रहीं थीं। कुछ देर के बाद सभी गहरे पानी में चली गईं। इससे वे डूबने लगीं। यह देखकर स्थानीय लोगों ने शोर मचाया। कुछ स्थानीय लोग उन्हें बचाने के लिए नदी में कूद पड़े। लोगों ने शालू और शिवानी को तो बचा लिया लेकिन आंचल और नैंसी डूब गईं।

स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची चिल्ह पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय गोताखोर व नाविकों की मदद से नदी में तलाश के बाद दोनों के शव बाहर निकाले गए। घटना के बाद से परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। डिंगुरपट्टी गांव के ग्राम प्रधान महावीर ने बताया कि हादसे से गांव में शोक की लहर है।

थाना प्रभारी रीता यादव ने बताया कि दो लड़कियों की मौत हुई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मैजिक की टक्कर, तीन भाइयों की मौत

मुजफ्फरनगर, 16 जून (जनसत्ता)।

अनियंत्रित टाटा मैजिक ने गन्ने का रस निकालने वाली मशीन में टक्कर मारी। इस हादसे में तीन भाई की चपेट में आ गए। तीनों गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जा रहे थे। बस का टायर पंचर हो जाने के कारण हाईवे किनारे खड़े होकर गन्ने का रस पीने लगे, इस दौरान टाटा मैजिक ने तीनों को कुचल दिया।

दिल्ली-दून हाईवे पर बरला-छपार के बीच अनियंत्रित टाटा मैजिक की चपेट में आने से दिल्ली निवासी अर्जुन (18), अभिषेक (20) और रोहित (25) की मौत हो गई। छपार टोल से आगे गौशाला के पास बस का टायर में पंचर हो गया। बस चालक पहिया बदलने लगा, इस दौरान बस में सवार आशा पल्ली रोड हमदर्द चौक दिल्ली निवासी सगे भाई अर्जुन व अभिषेक पुत्र सुनील कोटिया तथा उनके चाचा संजू कोटिया का बेटा रोहित हाईवे किनारे गन्ने का रस पीने लगे। कुछ देर बाद ही अनियंत्रित टाटा मैजिक ने मशीन में टक्कर मारी। टक्कर इतनी तीव्र थी कि हादसे में तीनों भाई भी चपेट में आ गए और टाटा मैजिक भी पलट गया।

प्रपत्र 'ए'

सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

मैसर्स भारतीय माइक्रो क्रेडिट के लेनदारों के ध्यानार्थ

प्रासंगिक विवरण		
1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	मैसर्स भारतीय माइक्रो क्रेडिट
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	17/01/2008
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी), कानपुर, उत्तर प्रदेश।
4.	कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट पहचान संख्या/सीमित देयता पहचान संख्या	U65992UP2008NPL034486
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय और प्रमुख कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	645/ए/57 प्लॉट नंबर-15 जानकी विहार सेक्टर-I जानकीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत, 226021
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	14 जून 2024
7.	दिवालियापन समाधान प्रक्रिया को बंद होने की अनुमानित तिथि	11 दिसंबर 2024
8.	अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में कार्य करने वाले दिवाला पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	एफिकैक्स रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड पंजीकरण संख्या IBBI/IPE-0153/IPA-3/2023-24/50063
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, जो बोर्ड के पास पंजीकृत है।	3656/6, लेन नंबर 6, नारंग कॉलोनी, त्रि नगर, रोज गार्डन के पास, उत्तर पश्चिम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली-110035 ईमेल: md@efficaxindia.com
10.	अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ई-मेल	70डी, तीसरी मंजिल, पॉकेट-ए, कृष्णा पार्क एक्सटेंशन, तिलक नगर, दिल्ली - 110018 ईमेल आईडी: cirp_bhartiyamicrocredit@efficaxindia.com
11.	दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	28 जून 2024
12	धारा 21 की उप-धारा (6क) के खंड (बी) के तहत अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा सुनिश्चित किया गया	लागू नहीं
13	दिवाला पेशेवरों के नाम किसी वर्ग में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए पहचान की गई (प्रत्येक वर्ग के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14	(क) प्रासंगिक प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां उपलब्ध है:	https://ibbi.gov.in/en/home/downloads

एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने दिनांक 14 जून 2024 को मैसर्स भारतीय माइक्रो क्रेडिट की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

मैसर्स भारतीय माइक्रो क्रेडिट के लेनदारों को प्रमाण के साथ अपने दावे दि. 28.06.2024 को या उससे पहले प्रविष्टि संख्या 10 के सामने उल्लिखित पते पर अंतरिम समाधान पेशेवर को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

वित्तीय ऋणदाता अपने दावे प्रमाण के साथ केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। अन्य सभी लेनदार व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सबूत के साथ दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावे के झूठे या भ्रामक सबूत प्रस्तुत करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

राकेश कुमार जिंदल
एफिकैक्स रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड (कॉर्पोरेट आईपीई) की ओर से
अंतरिम समाधान पेशेवर
मैसर्स भारतीय माइक्रो क्रेडिट के लिए
IBBI/IPE-0153/IPA-3/2023-24/50063
आईबीबीआई पंजीकृत पता: 3656/6, लेन नंबर 6, नारंग कॉलोनी, त्रि नगर, रोज गार्डन के पास, उत्तर पश्चिम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली-110035
एएफए 03.09.2024 तक वैध
फोन नंबर - 9560464525

श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ जा रही बस ट्रक से टकराई, 12 घायल

चंदौली 16 जून (जनसत्ता)।

जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के झांसी गांव समीप रविवार को नेशनल हाईवे पर सुबह श्रद्धालुओं से भरी एक बस अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक से जा टकराई। जिससे दुर्घटना में 12 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां लगभग छह लोगों की हालत गंभीर बताई गई।

सभी का उपचार किया गया लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद तीन की हालत अधित बिगड़ने पर उन्हें वाराणसी ट्रामा सेन्टर के लिए रेफर कर दिया गया। बता दें कि एक टूरिस्ट बस 30 से ज्यादा श्रद्धालुओं को लेकर झारखंड से केदारनाथ धाम जा रही थी। इस दौरान झांसी गांव के समीप रविवार की सुबह नेशनल हाईवे पर सड़क किनारे खड़ी ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद श्रद्धालुओं में चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना देने के साथ ही सभी घायलों को बाहर निकाला।

तथा पुलिस को सूचित किया गया मौके पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जिसमें उज्जवल गोस्वामी (63) निवासी जामताड़ा झारखंड, गोदावर घोष (64) वर्धमान, उत्तम गोलमारा जिला धनबाद, सिंटू पंडेसर जिला वर्धमान पश्चिम बंगाल, रेनू पांडेय (45) मोहनबाद झारखंड और मनकी (40) गगन रायपुर झारखंड के निवासी हैं। सभी का इलाज जिला अस्पताल में किया गया लेकिन सिंटू उज्जवल और गोदाधर की हालत गंभीर होने पर चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी रेफर कर दिया।

आस्था

वाराणसी में रविवार को गंगा दशहरा के अवसर पर श्रद्धालु गंगा नदी में डुबकी लगाते हुए।

युवक ने की आत्महत्या

सहारनपुर, 16 जून (जनसत्ता)।

थाना नागल के मीरपुर मोहनपुर गांव में 25 वर्षीय युवक राजा ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। सीओ देवबंद अशोक सिसौदिया ने रविवार को बताया कि मृतक के परिजनों का कहना था कि दो माह से राजा की पत्नी खुशबू अपने मायके में थी और बुलाने से भी घर नहीं लौट रही थी। इसी बात से दुखी होकर उसने बीती रात जहर खा लिया। तबीयत बिगड़ने पर इसकी जानकारी परिजनों को दी तो उन्होंने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उसने दम तोड़ दिया।

पुलिस के मुताबिक चार साल पहले राजा पुत्र सरनाम का विवाह हापुड़ के गांव बदरोली में खुशबू के साथ हुआ था। शादी के बाद उनके दो बेटियां हुई। खुशबू दो माह पूर्व पति से लड़कर अपने मायके चली गई और डेढ साल और तीन साल की दोनों बेटियों को पति राजा के पास ही छोड़ गई। राजा ने कई बार खुशबू को लौट आने के लिए कहा पर वह नहीं मानी।

गंगा दशहरा : घाटों पर गूंजा हर-हर महादेव, श्रद्धालुओं ने लगाई पुण्य की डुबकी

वाराणसी/मथुरा/मुजफ्फरनगर, 16 जून (जनसत्ता)।

हर साल यह त्योहार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं। इस दिन गंगा स्नान और दान करने से जातक को सभी पापों से छुटकारा मिलता है। साथ ही मां गंगा की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है।

वहीं प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में गंगा दशहरा पर रविवार को सभी घाटों पर आस्था का नजारा देखने को मिला। काशी ही नहीं आसपास के जिलों से गंगा स्नान और दान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा किनारे उमड़ी रही। काशी में सुबह से ही मंदिरों में घंटे घड़ियाल की ध्वनि के बीच घाटों पर हर हर गंगे... गूंजने लगा। आस्थावानों ने गंगा में पुण्य की डुबकी लगाई। इसके बाद यथासंभव दान भी किया। गंगा दशहरा पर दशाश्वमेध घाट, अस्सी घाट, तुलसीघाट, राजेंद्र प्रसाद घाट सहित अन्य घाटों को रंग-बिरंगे फूलों से सजाया गया है।

वहीं कान्हा की नगरी में गंगा दशहरा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, ब्रह्मांड घाट, चिंताहरण महादेव समेत ग्रामीण अंचल में भी श्रद्धालुओं ने यमुना में उद्धार डुबकी लगाई। मंदिरों के दर्शन किए। मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद मांगा। गंगा दशहरा पर यमुना स्नान का सर्वाधिक महत्व विश्राम घाट पर माना जाता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यमुना के विश्राम घाट सहित अन्य घाटों पर स्नान करने पहुंचे। सुबह से दोपहर तक लोगों ने स्नान किया। द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन किए। यमुना के दोनों किनारों पर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। वृंदावन में भी देश-विदेश के श्रद्धालुओं ने स्नान किए। मंदिरों में दर्शन कर पंचकोसी परिक्रमा लगाई। इतना ही नहीं गंगा दशहरा के पर्व पर पौराणिक तीर्थ स्थली एवं भागवत उदगम पीठ शुक्रतीर्थ स्थित गंगा में स्नान कर पूजा अर्चना करने वाले श्रृद्धालुओं का तांता लगा रहा। गंगा दशहरा के पावन पर्व पर हजारों श्रृद्धालुओं ने गंगा मे डुबकी लगाई तथा शुक्रतीर्थ स्थित गणेश धाम, दुर्गा धाम, शुकदेव मंदिर आदि विभिन्न मंदिरों एवं आश्रमों में पूजा अर्चना की तथा प्रसाद चढाया। उधर गंगा में स्नान करने वालों की भीड़ को देखते हुए घाटों पर पुलिस के जवान तैनात किए। गंगा दशहरा पर भीड़ को देखते हुए बीच गंगा नाव पर जल पुलिस और एनडीआरएफ के जवान भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं और लोगों से गहरे पानी में न जाने की अपील भी कर रहे हैं। ऐसे में अपर नगर आयुक्त एके सिंह ने बताया की सात चेंजिंग रूम, दो खोया पाया केंद्र, दो मोबाइल शौचालय, दो पानी के टैंकर, 12 गोताखोर, 15 नाव और 4 स्टीमर और 30 कर्मचारियों की अलग-अलग शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है। लगातार श्रद्धालुओं को आगाह करने के लिए उद्घोषणा की जा रही कि गहरे पानी में न जाएं।

पंद्रह लाख श्रद्धालुओं ने किया गंगा दशहरा स्नान

हापुड़ : यूपी का मिनी हरिद्वार कहे जाने वाले गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट सहित अन्य घाटों पर रविवार को ज्येष्ठ माह में गंगा दशहरा पर्व पर दिल्ली, एनसीआर व अन्य राज्यों के 15 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की। ब्रजघाट, पुष्पवती पुत,चकलाशिया व टिगरी घट में अपार श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था के डुबकी लगाई। इस दौरान गंगा तट पर गंगा मैया के जयघोष लगते रहे।

हजारों लोगों ने मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद मांगा

चंदौली : गंगा दशहरा के अवसर पर जनपद के बलुआ गंगा घाट जहां कि गंगा पश्चिम वाहिनी हो गई हैं। रविवार को सुबह से गंगा स्नान करने वालों का तांता लगा रहा जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान किया तथा मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद मांगा। वहीं सुरक्षा को लेकर पुलिस पहले से ही चाक चौबंद रही तथा घाटों पर गोताखोरों को भी तैनात किया गया था।

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
(पूर्व का पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)
पंजीकृत कार्यालय : 602, 6ठा तल, जीरो वन आईटी पार्क, क्रम सं. 79/1, घोरपड़ी, मुंधवा रोड, पुणे-411036

परिशिष्ट IV (नियम 8(1) देखें)
कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति हेतु)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनःनिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (यहां के बाद 'कथित अधिनियम' के तौर पर संदर्भित) के तहत उपरोक्त कारपोरेट/पंजीकृत कार्यालय के गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पहले पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, 17 नवंबर 2023 से पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का नाम बदलकर गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड हो गया (पहले इसे मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था और मूल रूप से जीई मनी हाउसिंग फाइनेंस पब्लिक अनलिमिटेड कंपनी के नाम से निगमित किया गया था) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 (12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने कथित नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर नोटिस में वर्णित अनुसार राशि अदा करने के लिये नीचे कर्जदारों को आमंत्रित करते हुए निम्न तिथि को मांग सूचना जारी की थी।

कर्जदारों द्वारा राशि की अदायगी में असफल होने पर, कर्जदारों तथा जनता को सामान्य तौर पर एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियम, 2002 के कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित तिथियों पर नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया है।

कर्जदारों को विशेष तौर पर और जनता को सामान्य तौर पर सम्पत्ति के साथ लेन-देन करने से एतद्द्वारा सावधान किया जाता है और सम्पत्ति के साथ कोई लेन-देन राशि तथा उस पर ब्याज के लिए गृहम हाऊसिंग फाईनेंस लिमिटेड (पूर्व का पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) के प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदारों के ध्यान में लाया जाता है कि अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार प्रतिभूतित परिसम्पत्तियों को बचाने के लिए समय उपलब्ध है। कब्जे में ली गई सम्पत्ति का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	कर्जदारों का नाम	सम्पत्ति का विवरण	कब्जा करने की तिथि	विधिक मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना की राशि (रु.)
1.	संतोष कटियार, निशा कटियार,	प्लॉट नंबर 02 का समस्त भाग, आराजी नंबर 966 के हिस्से में स्थित है, गाँव फतेहपुर रोशनाई तहसील अकबरपुर जिला कानपुर देहात उ.प्र., माप 250.21 वर्ग मीटर। प्राथमिक विद्यालय रोशनाई पिन कोड- 209304, सीमाएं:- पूर्वः- प्लॉट नंबर 03, पश्चिमः- प्लॉट नंबर 01, उत्तरः- प्लॉट नंबर 07, दक्षिणः- 40 फीट चौड़ी सड़क	13/06/2024	08/04/2024	ऋण संख्या HF/0045/H/21/100147 रु. 34,79,407/- (रुपये चौंतीस लाख उन्यासी हजार चार सौ सात मात्र) 08/04/2024 को देय, साथ ही वसूली तक 14.5% प्रति वर्ष ब्याज।
2.	नरेंद्र प्रताप एस रिवास तवा, शालिनी एस रिवास तवा,	मकान नंबर ई.डी. 442 ईडब्ल्यूएस, मौजाआदा कॉलोनी नैनी, परगना-अरैल और तहसील- करछना, प्रयागराज का समस्त भाग। 36.75 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल, सीमाएं:- पूर्वः मकान नंबर ई.डी. 429 ईडब्ल्यूएस, पश्चिमः 7.5 मीटर सड़क, उत्तरः मकान नंबर ई.डी. 443 ईडब्ल्यूएस, दक्षिणः मकान नंबर ई.डी. 421 ईडब्ल्यूएस।	13/06/2024	08/04/2024	ऋण संख्या HL00044100000005013303 रु. 29,10,038/- (रुपये उनतीस लाख दस हजार अड़तीस मात्र) 08/04/2024 को देय, साथ ही वसूली तक 14.75% प्रति वर्ष ब्याज।
3.	देश दीपक सिंह, रीता सिंह,	खसरा नंबर 266 का गांव - रतौली, बिजनौर, सरोजनी नगर, लखनऊ का समस्त भाग, माप एरिया 1500. वर्ग फीट, पिन कोड- 226002 सीमाएं:- पूर्व- अन्य प्लॉट, पश्चिमः- सड़क 25 फीट, उत्तरः- प्लॉट राजेश यादव, दक्षिणः- विक्रेता का प्लॉट।	14/06/2024	08/04/2024	ऋण संख्या HF/0043/H/21/100490 रु. 13,30,586/- (तेरह लाख तीस हजार पाँच सौ छियासी रुपये मात्र) 08/04/2024 को देय, साथ ही वसूली तक 13% प्रति वर्ष की दर से ब्याज।
4.	विमला सिंह, धीरेंद्र प्रताप सिंह,	भूमि गाटा संख्या 1426 मिन का समस्त भाग, छतुवा परगना मोहनगंज तहसील तिलोई जिला अमेठी, माप एरिया 420. वर्ग मीटर में स्थित, भारत पेट्रोलियम पिन कोड- 229309, सीमाएं:- पूर्वः- विक्रेता का प्लॉट, पश्चिमः- सड़क 30 फीट, उत्तरः- विक्रेता का प्लॉट, दक्षिणः- राधा का प्लॉट।	14/06/2024	08/04/2024	ऋण संख्या HF/0043/H/21/100855 रु. 26,92,115/- (छब्बीस लाख बानबे हजार एक सौ पंद्रह रुपये मात्र) 08/04/2024 को देय, साथ ही वसूली तक 16.25% प्रति वर्ष की दर से ब्याज।

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के अनुपालन में]
सेक्टर 8 कम्पनी के रू में प्राईवेट कम्पनी के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन
कम्पनी रजिस्ट्रार, कनपुर के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 की उप-धारा (5) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के उप-नियम (3) के क्लॉज (ए) के मामले में
तथा
रामा एग्रीकल्चरल प्रॉडक्ट्रस प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 117/के/137 सर्वोदय नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत, 208024 में है
-----आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी का सेक्शन 8 कम्पनी में रूपांतरण/अधिनिय की धारा 8 के अंतर्गत लाइसैन्स प्राप्त करने के लिए कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए 7.6.2024 को आयोजित असाधारण आम सभा में पारित विदेश प्रस्ताव के अनसार प्राईवेट कम्पनी के सेक्शन 8 कम्पनी में रूपांतरण की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए यह कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (5) के अंतर्गत कम्पनी रजिस्ट्रार, कानुर के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है। सेक्शन 8 कम्पनी में इस प्रस्तावित रूपांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति कम्पनी रजिस्ट्रार, कानपुर, 37/17, बेस्टकॉट बिल्डिंग, दि मॉल कानपुर-208001, उत्तर प्रदेश के पास जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें: 1/28, ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली-110092 117/के/137 सर्वोदय नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत, 208024

आवेदक के लिये तथा उसकी ओर से
रामा एगीकल्चरल प्रॉडक्ट्रस प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता/-
सूरज सिंह
निदेशक
DIN:00323273
तिथि : 15.06.2024
स्थान : कानपुर

ADITYA BIRLA CAPITAL

आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात – 362266
कॉर्पोरेट कार्यालयः जी कॉर्पोरेशन टेक पार्क, कासर वडावली, घोड़बंदर रोड, ठाणे-(एमएच) 400601

मांग सूचना (सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 (1) के तहत)
प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों की गणना और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत नोटिस की प्रतिस्थापन सेवा।

जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है, उधारकर्ताओं को नोटिस दिया जाता है कि उन्होंने आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एबीएचएफएल) से प्राप्त क्रेडिट सुविधा के पुनर्भुगतान में चूक की है, इसलिए उनके ऋण खातों को की पुस्तकों में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार इसके बाद, (एबीएचएफएल) ने उक्त उधारकर्ताओं के अंतिम ज्ञात पते पर वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13 (2) के तहत मांग नोटिस जारी किए हैं। इस प्रकार उनसे आह्वान किया जाता है और उनसे मांग की जाती है कि वे उक्त राशि पर संविदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज और प्रासंगिक खर्चों, लागत, शुल्क आदि के साथ पूरी बकाया राशि चुकाएं, जैसा कि उक्त मांग नोटिस में बताया गया है। हालाँकि, डिमांड नोटिस भी है सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (सरफेसी नियम) के नियम 3 के अनुसार, प्रकाशन के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है:

क्रं. सं.	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता और गारंटर/सह-गारंटर के नाम तथा पता और ऋण खाता संख्या	एनपीए की तिथि	मांग सूचना की तिथि	डिमांड नोटिस के अनुसार/तिथि के अनुसार देय राशि
1	1. जगदीष कुमार जायसवाल आराजी नं. 396, एसबीआई एटीएम के पास, मौजे- भूलनपुर, परगना-देहात अमानत, जिला-वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221108 2. नीराज कुमार जायसवाल आराजी नं. 396, एसबीआई एटीएम के पास, मौजे- भूलनपुर, परगना-देहात अमानत, जिला-वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221108 3. पुष्पा देवी आराजी नं. 396, एसबीआई एटीएम के पास, मौजे- भूलनपुर, परगना-देहात अमानत, जिला-वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221108 4. दीना नाथ जायसवाल आराजी नं. 396, एसबीआई एटीएम के पास, मौजे- भूलनपुर, परगना-देहात अमानत, जिला-वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221108 5. जायसवाल जनरल स्टोर आराजी नं. 396, एसबीआई एटीएम के पास, मौजे-भुलनपुर, परगना-देहात अमानत, जिला-वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221108 6. जगदीष कुमार जायसवाल भुलनपुर पीएसी, भुलनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221108 7. नीराज कुमार जायसवाल भुलनपुर, साउथ गेट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221108 8. पुष्पा देवी भुलनपुर, 34 वाहनी, भुलनपुर पीएसी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221108 9. दीना नाथ जायसवाल भुलनपुर 34 पीएसी साउथ गेट, भुलनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221108 10. जगदीष कुमार जायसवाल, भुल्लनपुर पीएसी, भुल्लनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221108 11. नीराज कुमार जायसवाल, भुल्लनपुर पीएसी, भुल्लनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221108 12. पुष्पा देवी, भुल्लनपुर पीएसी, भुल्लनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221108 13. दीना नाथ जायसवाल, भुल्लनपुर पीएसी, भुल्लनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221108। ऋण खाता संख्या LNLUcLAp-05220130924 और LNLUcLAp-05220130928	01.06.2024	10.06.2024	रु. 35,74,864.74/- (रुपये पैंतीस लाख चौहत्तर हजार आठ सौ चौसठ और चौहत्तर पैसे मात्र) बकाया मूलधन, बकाया (उपार्जित विलम्ब शुल्क सहित) और ब्याज के रूप में 05.06.2024 तक

गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों का विवरणः संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, क्षेत्रफल 1360 वर्ग फीट, आराजी संख्या 396, मौजा: भूलनपुर, परगनाः देहात अमानत, तहसील और जिलाः वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221108, और इसकी सीमाएं: पूर्वः विभूति व अन्य की भूमि, पश्चिमः विक्रेता (अजादी देवी) का जज हाउस, उत्तरः 8 फीट चौड़ा कच्चा रास्ता, दक्षिणः राम रतन व अन्य की भूमि।

हम यहां बताए गए उधारकर्ता से इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर हमें बकाया राशि (राशि) और उस पर अतिरिक्त ब्याज और लागत, शुल्क, खर्च आदि का भुगतान करने के लिए कहते हैं, ऐसा न करने पर हम स्वतंत्र होंगे, सुरक्षा हित को लागू करें, जिसमे लागत और परिणाम के अनुसार पूरी तरह से अपने जोखिम पर सुरक्षित संपत्ति पर कब्जा करने और बेचने तक सीमित है।

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आप सभी को कंपनी की पूर्व लिखित सहमति के बिना उपरोक्त सुरक्षित संपत्तियों को बिक्री, पट्टे या अन्यथा स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। आपके द्वारा उक्त धारा का कोई भी उल्लंघन दंडात्मक प्रावधानों को लागू करेगा सरफेसी अधिनियम की धारा 29 और/या इस संबंध में किसी अन्य कानूनी प्रावधान के तहत निर्धारित।

कृपया ध्यान दें कि अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अनुसार, यदि एबीएचएफएल द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ एबीएचएफएल का बकाया बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय एबीएचएफएल को प्रस्तुत किया जाता है, सुरक्षित संपत्ति एबीएचएफएल द्वारा बेची या हस्तांतरित नहीं की जाएगी, और एबीएचएफएल द्वारा उस सुरक्षित संपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री के लिए कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।

दिनांकः 17.06..2024
स्थानः लखनऊ
हस्ता/-प्राधिकृत अधिकारी
(आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : 501, सॉलकन ऑरम, जसोला जनपद केन्द्र, नई दिल्ली-110025
सीआईएन : यू65900डीएल2020पीएलसी366027

नीलामी सूचना

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के निम्नलिखित ऋणकर्ताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा बैंक से प्राप्त किए गए स्वर्ण ऋण / ऋणानेक जो हैं वे बैंक द्वारा निर्गत व्यक्तिगत सूचनाओं सहित अनेक मांगों एवं सूचनाओं के बाद भी उनके द्वारा समायोजित नहीं किए गए हैं। समस्त ऋणकर्ताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक के पास प्रतिभूति के रूप में रखे गए स्वर्णाभूषणों की नीलामी करने का निर्णय लिया गया है तथा तद्नुसार 27-06-2024 को अप. 03.00 बजे उन शाखा परिसरों में नीलामी की तिथि के रूप में निर्धारित किया गया है जहां से ऋण प्राप्त किया गया था / किए गए थे। ऋणकर्ताओं सहित समस्त सर्वसाधारण, खाताधारक और जनसाधारण नीलामी के नियमों एवं शर्तों के अनुसार इस नीलामी में प्रतिभागिता कर सकते हैं।

शाखा	खाता संख्या	खाताधारक का नाम	पिता / पति-पत्नी का नाम	पता	खाता खोलने की तिथि	पेऑफ
आलमबाग	102342510190	इस्लामुद्दीन	पुत्र हामिद अली	बुद्धेश्वर विहार, पिन सिटी हैदर केनाल पाड़ा के पास लखनऊ उत्तर प्रदेश 226017	15/02/2024	66,576.06
आलमबाग	102342510148	हसीन अहमद	पुत्र हसीब अहमद	9 686 इंदिरा नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश 226016	17/01/2024	107,737.70
आलमबाग	102342510147	हसीन अहमद	पुत्र हसीब अहमद	9 686 इंदिरा नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश 226016	17/01/2024	216,778.69

नीलामी तिथि 27-06-2024 को अप. 03.00 बजे है

बैंक के पास बिना कोई पूर्व सूचना दिये नीलामी से किसी खाता को समाप्त करने अथवा नीलामी निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

प्राधिकृत अधिकारी, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

सड़क हादसे में युवक की मौत

वाराणसी, 16 (जनसत्ता)।

वाराणसी के क्षेत्र उगापुर गांव के समीप रविवार की सुबह तेज रफ्तार एक डंपर ने एक मोटर साइकिल को टक्कर मार दिया।

टक्कर के बाद मोटर साइकिल सवार आशीष ऊर्फ छोटू की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक घायल हो गया।